[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 40/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के मालों को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले मालों को जब उनका भारत में आयात किया जाता है, को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जिसे उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं.	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**
1.	भूटान से भारत में आयात किए गए भूटानी या भारतीय मूल के माल ।
2.	अर्ध-चर्मशोधित, गाय का चर्म, निम्न ग्रेन इमेज पेपर, सेमल की रुई और हथकरघा उत्पाद, जब उनका बांग्लादेश से भारत में आयात किया जाता है ।
3.	बकरी की खाल, भेड़ की खाल, अश्व, बकरियां, भेड़, ऊन, बटर, साधारण नमक, कच्चा रेशम, याक की पूंछ, याक के रोम, चाइना क्ले, बोरेक्स, जाईवेलइट, कैशमेयर बकरी, पहनने के लिए तैयार परिधान, जूते, रजाई या कंबल, कालीन और स्थानीय जड़ी-बुटी औषधियां, जब उनका भारत में चीन से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गुंजी से गुंजी पुला (तिब्बत) भू-मार्ग या हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगया शिपकिला गांव से नामगया-शिपकिला-शिपकी जुई जियुब भू-मार्ग या सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में शेराथांग के बीच से शेराथांग भू-मार्ग से और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में रैंकीनगैंग से नाथुला दर्रे द्वारा आयात किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार